इसको उठा रहे हैं... (व्यवधान) । कालिंग एटेंशन, श्री भाभड़ा ।

श्री रामेश्वर सिंह : यह अंग्रेजी का सवाल नहीं है ... (व्यवधान) ।

SHRI PILOO MODY: The official language of Nagaland is English.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He does not know. What can I do?

SHRI MANUBHAI PATEL (Gujarat): It should be bilingual. The official policy of the Government should be followed.

श्री उपसभापति : ठीक है, बाइलिंग्वल हो ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य (उत्तर प्रदेश) : अब स्पेशल मेंशन लीजिये ।

श्री उपसभापति : स्पेशल मेंशन कालिंग मोशन को लेने के बाद होते हैं ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : पहले भी होते हैं ।

श्री उपसभापति : आप तो इस सदन में कई वर्षों से हैं । कालिंग एटेंशन मोशन के बाद स्पेशल मेंशन्स होते हैं ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य: बहुत बार स्पेशल मेंशन पहले भी होते हैं ।

श्री उपसभापति : कभी नहीं होते हैं ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : कई बार होते हैं ।

श्री उपसभापति : आपसे बहस क्या करेंगे, आप तो सुनते ही नहीं हैं । श्री भाभड़ा ।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Laboratory findings that the wheat imported from Australia was mixed with a deadly insecticide fenitrothion

श्री हरी शंकर भाभड़ा (राजस्थान) : श्रीमन्, मैं प्रयोगशाला के इन निष्कर्षों के समाचार कि आस्ट्रेलिया से आयातित गेहूं में एक घातक कीटनाशी फेनाइट्रोथिओन मिला हुआ था तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर कृषि तथा ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान दिलाता हूं ।

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): Mr. Deputy Chairman, Sir,... attention of the Government has been drawn to a report under the heading "Deadly Wheat from Australia" appearing in the *Statesman* of the 2nd March, 1982.

In order to counter any unnecessary apprehension that the report may cause, the factual position was issued to the press the same day.

Briefly, the position is that varieties of grain-protectants are used by different countries depending on their effectiveness against the insect strain prevalent in those countries. Australia is accustomed to the use of Fenitrothion for the purpose of protecting grain in storage. The tolerance limit of the residue of this protectant as prescribed by the World Health Organization and the Food and Agriculture Organisation Codex is 10 parts per million. The wheat currently being imported from Australia is analysed for the residue of the grain-protectant as per the normal procedure both at the time of loading and on arrival at Indian ports. While the residue level is not exceeding seven

parts per million at the time of loading, it is only between one and three parts per million on arrival and even this wears off during normal storage. The residue level at the time of receipt minimise the need for a repeat dosage of grain-protectants normally used in the course of storage within the country. By the time the wheat is issued for consumption, the residue level will come down further to well within limits prescribed by the rules framed under the Prevention of Adulteration Act.

In the circumstances, it is wrong and even mischievous to suggest, as the report does, that the wheat cannot be used or that it will be necessary for Government to find other ways of replenishing this quantity.

श्री हरी शंकर भामड़ा : मान्यवर, माननीय मंत्री महोदय ने लगभग वही बात अक्षरशः पढ़ दी है जो आज के अखबारों में उनके मंत्रालय द्वारा दी गई है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं कहां से लाऊंगा ?

श्री हरी शंकर भामड़ा : आपने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। मैं यही बताना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने बुद्धि का भी प्रयोग करें और केवल सरकारी अधिकारियों के आधार पर या उनके विश्वास पर सरकार को चलाने में थोड़ा सा पुनर्विचार करें । इसी सौदे में आपके यहां से श्री वी० एस० राघवन, एडीशनल सेक्रेटरी और श्री एम० वी० शास्त्री, फाइनेंसशियल एडवाइजर बड़े गुप्त रूप से छुट्टी लेकर आस्ट्रेलिया गये थे और इस सौदे को गुप्त रखा गया था । लेकिन आपकी सरकार इतनी इनएफिशियन्ट थी कि उसी समय इस बात का पता अमेरिका को चल गया और अमेरिका के अन्डर सेक्रेटरी मि० लाईविक आप से स्वयं मिले थे । और उन्होंने यह आपको आफर दी कि हम आपको चाहे जितना गेहूं आप चाहें जितनी क्रेडिट पर मंगाना चाहते हैं, देने को तैयार हैं । यह इस बात का संकेत है कि आपके यहां से जो कार्यवाही होती है वह इतनी विश्वसनीय नहीं है । गोपनीय रखने के बावजूद भी प्रकट हो जाता है । तो मान्यवर, यह जो अखबारों में इन गेहूं के अन्दर जो कीटनाशक दवाओं का प्रभाव छपा है यह खबर बनावटी खबर नहीं है । अगर किसी ने बनाई है तो आपके ही सरकारी विभागों ने कहीं न कहीं से, जनहित में इसको बताया है, इसको प्रचारित किया है । इसलिये मान्यवर, मंत्री महोदय, चले गये हैं और . . .

श्री उपसभापति : वह सुन रहे हैं ।

श्री हरी शंकर भामड़ा : उनको सुनाना जरूरी है । वह आ जायेंगे तो मैं कहूंगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं आपको सुन रहा हूं ।

श्री हरी शंकर भामड़ा : लेकिन मुझे दिखाई यह नहीं दे रहा है । इस समय मैं आपको सुनाना चाहता हूं । उनको तो आप रोज सुनते हैं । मैं यह कहना चाहता था मंत्री महोदय कि यह जो खबर आई है और अब जो उन्होंने इसका जवाब दिया है, इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी है और इसकी जांच मंत्री महोदय जनहित की दृष्टि से स्वयं करें । मुझे पता है मंत्री महोदय कि जब कभी भी उनके विभाग के किसी महत्वपूर्ण अधिकारी के खिलाफ पार्लियामेंट में प्रश्न उठाता है तो आपको उसे डिफेंड करना पड़ता है चाहे बाहर फिर उनके आप कान खींचते होंगे, जवाब तलब

[श्री हरी शंकर भाभडा]

करते होंगे । लेकिन इस पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर उनको किसी न किसी तरह से आपको डिफेंड करना पड़ता है । परन्तु यह जो मामला है यह जन-हित से सम्बन्धित है, जनता के प्राणों से इसका संबंध है, इसलिये कृपया इस संबंध में आप व्यक्तिगत रूप से इस बात की जानकारी करें कि यह खबर जो छपी है इस खबर में और जो आपने आज जवाब दिया है, इसमें कौन सी बात सही है । इसकी जानकारी आपको व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए, केवल सरकारी अधिकारियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए ।

माननीय, पहली बात तो यह है कि आपने गेहूं इम्पोर्ट किया....

श्री उपसभापति : यह सवाल आप छोड़ दीजिये जो इसमें मिलाया गया है उस पर ही पूछिये...

श्री हरी शंकर भाभड़ा : श्रीमन, विषय को इतना टू टेक्नीकल मत बनाइये।

श्री उपसभापति : आप जो...

श्री हरी शंकर भाभड़ा : उपसभापति महोदय, आप मेरा समय ले रहे हैं ।

श्री उपसभापति : जो मुख्य मुद्दा है उस पर बोलिये ।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : मैं जो कुछ कह रहा हूं देश हित में कह रहा हूं ।

श्री उपसभापति : आप इम्पोर्ट की बात छोड़िये ।.....(**व्यवधान**)

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : आपने सुना नहीं और कह दिया कि रेलेवेन्ट नहीं है । यह बात उनको कहने दीजिये...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : आप बैठिये । जो मुख्य प्रश्न उठा है सरकार ने उससे इंकार कर दिया । जो प्रश्न है उस पर पूछिये । बिना वजह इधर उधर की बात कह कर...(**व्यवधान**)....

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उसके अनौचित्य को बता रहे हैं, इसको सुनिये...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : इसको छोड़िये.. (**व्यवधान**).. कृपा करके बैठ जाइये ।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : उपसभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मैं कह जो रहा हूं इसको आप किस तरह से इन्टीसिपेट कर रहे हैं ? आपको क्या टेलीपैथी का स्पेशल नालेज है ?

श्री उपसभापति : हां, नालेज है, आप सवाल पूछिये ।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : आप किस तरह इन्टीसिपेट कर लेते हैं...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : हां कर लेते हैं । कृपया आप जो प्रश्न है...(**व्यवधान**)

श्री हरी शंकर भाभड़ा : आपने मेरा कितना समय खराब कर दिया है । ...(**व्यवधान**).....

श्री उपसभापति : आपके और साथी खड़े होकर आपका समय खराब कर रहे हैं...(**व्यवधान**)

श्री हरी शंकर भाभड़ा : मैं कह रहा हूं कि यह समस्या इसलिये पैदा हुई...

श्री उपसभापति : यह समस्या गेहूं इम्पोर्ट करने से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : इस मामले को इतना टेक्नीकल बना दिया है कि अन्ततोगत्वा इसका निर्णय एक्सपर्ट ही

कर सकता है । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला पैदा ही नहीं होता, यहां पर प्रोडक्शन कम नहीं है यह आप बार बार कह चुके हैं, गैप-प्रोक्योरमेन्ट है जिसके फिल-अप करने के लिये सरकार गेहूं इम्पोर्ट कर रही है। आप 153 रुपये दे रहें हैं आस्ट्रेलिया के किसानों को सरकार...

श्री उपसभापति : इसमें यह सवाल नहीं उठता ...

श्री हरी शंकर भाभड़ा : इतना अगर यहां के किसानों को देते तो यह समस्या पैदा ही नहीं होती और जो मैं यह कह रहा हूं मुझे इस तरह की कोई आपत्ति न होती ।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पहले यह बात बताइये कि इस सम्बन्ध में जो टीम आपके इस सौदे को करने के लिये आस्ट्रेलिया गई थी उस टीम में क्वालिटी कन्ट्रोल कौन एक्सपर्ट व्यक्ति था और क्या वे गेहूं की क्वालिटी के बारे में जानकारी रखते थे जिन्होंने यह सौदा वहां किया हो ?

दूसरी बात मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में भी आप गेहूं का बफर स्टाक बनाते हैं, स्टोरेज करते हैं । तो इसमें कौन सा कीट-नाशक दवाएं कितनी मात्रा में मिलाकर रखते हैं ? इसके लिये क्या आपके रूल्स बने हुए हैं ?

तीसरी बात यह है कि यह प्रिवेंशन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में जो नियम बने हैं उन नियमों के अन्तर्गत गेहूं को प्रिजर्व करने के लिए कौन सी दवाइयां आप काम में ला सकते हैं, किस मात्रा तक काम में ला सकते हैं इसके बारे में भी आप जरा बताइये । मान्यवर, इस संबंध में आज आपने जो जवाब दिया है उसमें यह कहा कि वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक आप कह रहें हैं मेरा इसमें आपसे निवेदन है कि देखिये वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के जो मानदंड है उन्होंने मापदंड बनाए हैं वे मापदंड हिन्दुस्तान की परिस्थितियों में भी लागू होते हैं, क्या इसको आपने देखा है । अमूमन पश्चिमी देशों में गेहूं का प्रयोग धो कर और उसके बाद में बेक्रीज में ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है । हाई टेम्प्रेचर में ब्रेड बनती है। इसलिए यदि उसमें कीटनाशी दवाइयों का कोई असर हो तो हाई टेम्प्रेचर में समाप्त हो सकता है । लेकिन आपने यह जो गेहूं मंगाया है इसमें साफ तौर पर यह बात आपने बताई है कि आप हिन्दुस्तान के दक्षिणी और पश्चिमी कोस्टल एरियाज के अन्दर पब्लिक डिस्ट्रि-ब्यूशन की मारफत से इस गेहूं को आप देना चाहते हैं और हिन्दुस्तान में गेहूं के बारे में यह प्रथा नहीं है कि इसको धो कर के पिसाया जाए । यहां पर गेहूं को सीधे पिसाते हैं और पीसने के बाद हम चपाती बनाते हैं जो कि बहुत ही लो टेम्प्रेचर में बनती हैं, हाई टेम्प्रेचर में नहीं बनती । इसलिए कीटनाशी दवाइयों का जो असर अन्य जगहों पर दुनिया में हाई टेम्प्रेचर के कारण समाप्त हो सकता है वह परिस्थिति हिन्दुस्तान में नहीं है । यहां का गरीब आदमी चपाती बना कर खाता है, जो बहुत ही लो टेम्प्रेचर में पकाया जाता है । तो यह जो कीटनाशी दवाइयों के तत्व इसमें मिले हुए हैं उनका कितना असर इस परिस्थिति में हिन्दुस्तान के लोगों पर होगा इसके बारे में भी आपने क्या कोई जानकारी प्राप्त की है ?

दूसरी बात यह है कि मान्यवर, इस संबंध में आपके एक प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर कृषि भवन में बैठते हैं उन्होंने क्या इस संबंध में कुछ केमिकल एनेलेसिज

[श्री हरी शंकर भाभड़ा]

किया है और यदि किया है तो इस संबंध में उनकी राय क्या है । क्या वे इस बात से इत्तफाक करते हैं कि जो कुछ कीटनाशी दवाइयां इस आस्ट्रेलिया के गेहूं में मिली हुई है वे कायदे के मुताबिक और नुकसानप्रद नहीं हैं । इसके बारे में उनकी क्या ओपीनियन है, यह भी आप बताने का कष्ट करें ।

अन्तिम बात यह है कि मान्यवर, मेरे पास इनफारमेशन यह है कि इस डील के अन्दर इस सौदे में कुछ अधिकारियों ने बड़ा घपला किया है । माननीय मंत्री महोदय को भी अन्धेरे में रखा गया है । इस के केमिकल एनेलेसिज की रिपोर्ट माननीय मंत्री महोदय को बताई नहीं गई है और चुपके चुपके यह तय किया गया कि इस गेहूं का अब क्या किया जाए और जब कोई रास्ता नही मिला तो इस गेहूं को पड़ोसी देशों में हम एक्सपोर्ट कर दें इस प्रकार की एक योजना चुपके चुपके बनाई जा रही थी। क्या यह बात सही है या नहीं ? यह बात सही है यदि आप मान लीजिये इस नतीजे पर पहुंचे, आज तो आप मना करते हैं, मैं जानता हूं कि आप इस बात को समझते हैं, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप इसकी जांच कराएंगे । जब आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये गेहूं स्वास्थ्य के लिए नुकसानप्रद हो सकती है तो फिर इस गेहूं का आप क्या उपयोग करेंगे । यदि आप इसको लाएंगे तो उसमें कितना खर्च लगेगा और इस गेहूं को धुला कर या फिर किस प्रकार से कहां इसका डिस्ट्रिब्यूशन करेंगे ? क्या बेकरीज में जहां पर ब्रेड बनती है, वहां पर देंगे या पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन शाप्स के माध्यम से जन-साधारण को, गरीबों को भी आप पहुंचायेंगे । कृपया इन बातों का जवाब दें । बोलना भी अभी और भी था पर उपसभापति जी बोलने नहीं देते ।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिपुटी चेयरमैन साहब, श्री भाभड़ा जी ने तो अपने शक ही जाहिर किये हैं सवाल तो खास नहीं किया... (व्यवधान) सवाल जितने थे उनका जवाब तो मैं तफसील के साथ दे चुका हूं । जब यह गेहूं आस्ट्रेलिया से लादा गया तो उस वक्त करीब फोर पार्टस इन वन मिलियन से लेकर सेवन पार्टस इन वन मिलियन तक दवाइयों का असर था और यह उनकी अपनी गवर्नमेंट के मुताबिक ठीक था और जो यह है वह एफ०ए०ओ० की प्रोडक्टस वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन का है उसके सेफ्टी मार्जिन के अन्दर अन्दर है । लेकिन हर एक देश का अपना अलग होता है । हमारा तो ऐसा सख्त नियम है । दूसरे मुल्कों में अगर फ़ोर पार्टस इन वन मिलियन यह दवाई हो तो इस्तेमाल हो सकता है, जबकि फोर पार्टस इन वन मिलियन तक हो तो भी हम इसको इस्तेमाल नहीं करते और कोडेक्स तो वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन का 10 पार्ट इन ए मिलियन इसको एलाऊ करता है लेकिन यह दवा ऐसी है एनाउट्रोथियोन कि यह वीयर आऊट कर जाती है ।

हमारे जहाज जिस वक्त वहां से चले, दो हफ्ते तीन हफ्ते का अर्सा उनको हिन्दुस्तान पहुंचने में लगता है, इसी अर्से के अन्दर अंदर इसकी मात्रा काफी नीचे आ गई । एक जहाज जगशांति तो 7 जनवरी को चला, उस वक्त वहां से एनेलिसिस को गयी तो 7 पार्ट इन मिलियन में वह दवा थी, लेकिन जब वहां अन लोड किया गया तो यह जो मुख्तलिफ फोल्ड जहाज के थे उसमें 0.95 से लेकर 2.85 तक घटाकर इसकी मात्रा हो गयी ।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : उपसभापति महोदय, एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं, यह

जो आप एनेलिसिस करते हैं वह सारे में से करते हैं या कोई सैम्पुल लेकर करते हैं या केवल एक ही सैम्पुल से करते हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जहां जहां अलग ढेर गेहूं का हो तो उसके हर एक का एनेलिसिस होता है लेबोरेट्रीज के अंदर और हैल्थ डिपार्टमेंट को तसल्ली इस बात में कराई जाती है ।

दूसरा जहाज जब यहां पहुचा तो उसमें 0.95 पार्ट से लेकर एक पार्ट एक मिलियन तक दवा का असर रह गया । जब वह वहां से चला तो सारा गेहूं जो 'स्वीट फ्लैंग' जहाज में लादा गया उसमें चार पार्ट से कम मात्रा थी । हमारे यहां मैलीथियान इस्तेमाल होता है इस दवा की जगह में और मैलीथियान हम अपने गोदामों में सात या आठ परसेंट तक इस्तेमाल करते हैं, जैसी जरूरत समझी जाती है । लेकिन जिस तरह इश्यू किया जाता है गेहूं उस वक्त तक, हमारा स्टैंडर्ड इतना सख्त है कि करीब-करीब जीरो पार्ट भी नहीं रहना चाहिए उसके अंदर । हमारा स्टैंडर्ड 0.02 का है, बिल्कुल दवा का असर खत्म हो जाना चाहिए और हर गोदाम में इश्यू करने से पहले इस बात की तसल्ली कर ली जाती है । तो फिर इसमें खतरा कोई है नहीं । यह बात बिल्कुल गलत है कि हमारे देश के अफसर पोशीदा तौर पर गये क्योंकि गवर्नमेंट से तो कोई छिपी हुई बात नहीं है, सरकार जिम्मेदार है, कहां किस अफसर को भेजा, किस वक्त भेजा । नवम्बर में पहले फूड सेक्रेटरी गये, बहुत सीनियर अफसर हैं, उनके मुस्तालिक अगर कोई भी किसी को शक हो तो मैं दूर करना चाहता हूं, जाती तौर पर मैं जानता हूं, जिम्मेदारी इस बात की ले सकता हूं । दूसरे हमारे सीनियर अफसर एडीशनल सेक्रेटरी गये दूसरी बार । एक्सापोर्टिंग एजेंसी आस्ट्रेलिया को वहां की गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी है तो अगर कोई अपने ख्यालात में इस तरह की तस्वीर बनाये कि आस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इतना भारी नये गेहूं का स्टाक इसलिए किया था कि हिन्दुस्तान जब खरीदेगा तो जहरीला गेहूं भेज दिया जायेगा, या जब हिन्दुस्तान ने इसको खरीदा तो उस वक्त जहर मिला दिया गया तो वह इतनी फार फेच्ड चीज है कि जिसके मुताबिक आनरेबुल मेम्बर को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ।

कुछ गेहूं आ गया है, इस समय 75 हजार टन लोड हो चुका है, वह हमारे गोदामों में आ गया है । अगर यह दवा वहां पर इस्तेमाल न होती और बिल्कुल बगैर दवा के भी गेहूं यहां लाया जाता तो हमारे यहां लाने के बाद भी दवा का इस्तेमाल करना था, उसको बचाने के लिए अपने गोदामों में, और उसका असर भी कुछ देर तक रहता । लेकिन इश्यू से पहले वह खत्म हो जाय इस बात का पूरा इत्मीनान कर लिया जाता है । यह जरूरी है कि दवाओं का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि काफी अनाज खराब हो जाता है कीड़ों की वजह से गोदामों के अंदर, यह आनरेबुल मेम्बर अच्छी तरह से जानते हैं ।

तो सेफ्टी के स्पेसीफिकेशन जो मुख्तलिफ वर्ल्ड आर्गेनाईजेशन्स ने रखे हैं उनके काफी नीचे के स्पेसीफिकेशन में जिस मात्रा में वह दवा वहां मिली थी, वह था और यहां आने के बाद और कम हो गया इश्यू के पहले बिल्कुल ही नहीं रहेगा इस बात का हम इत्मीनान कर लेंगे और अच्छी तरह से जांच कर लेंगे ।

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET (Punjab): Mr. Deputy Chairman, Sir, the question is not whether

[Shri Harkishan Singh Surjeet]

the Australian Government intentionally tried to mix up something. As the Minister has himself said all Governments have different standards keeping in mind the climatic conditions and the utility of and the wheat they utilise. A news item appeared in the 'Statesman' stated, which the Minister has not tried to convincingly answer, that "Laboratory tests have revealed here that a quantity of the insecticide mixed with the wheat is to the extent of five to eight miligram in a kilogram. The tolerance limit—the extent of which is said to be safe for human consumption in India—is", as the Minister has stated—".02 miligram in a kilogram. Officials of the Department of Food are reported to be extremely worried about this." The wheat Board of Australia had said that this is the quantity they have mixed. After that, they have now the contention of the Minister. They say that the effect does not remain by the time they issue it and that this will be brought down to 0.02 miligram in a kilogram. But he himself has stated this here, and that raises some doubts. And it is not a question of arguing but of concern about the food supplied to the people. Earlier also some examples have been made where certain things have been found in the imported wheat and then we had to complain and protest. That is why the Minister also should share the concern of the Members to see that the consumers do not suffer due to the rotten wheat supplied. That is the main point. And that is why we would like the Minister to go into the details because he himself has said, "By the time the wheat is issued for consumption, the residue level will come down further to well within limits prescribed by the rules framed under the Prevention of Adulteration Act." This is the presumption made by him. That is why I would like to know two things from the Minister. One is, why if such an urgency was not there food was imported, because their intention also comes. You say that by the time we will have to supply that food to the depots, it will be brought down to the same level as India has estimated on its own initially. And the reports have come. Is there any validity there that tests showed some concern about it? That should be there. Thirdly, I would like to know what is the necessity of importing wheat. On the one hand you are claiming that you are going to stop the import of foodgrains and on the other you are importing foodgrains. So, are you going to stop the import of foodgrains, not due to this reason, so that we are saved of foreign exchange?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different matter.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Sir, the issue comes out of imported wheat. We have got large number of varieties in this country. If you pay Rs. 10 more, you can get as much wheat...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can discuss it on some other occasion.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Sir, I am only suggesting that if he ensures some Rs. 20 more to the peasants, we can get any amount of wheat. He need not have to import.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different matter.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: Is he aware of it?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different matter. Don't reply to that.

SHRI HARKISHAN SINGH SURJEET: These are the main points that I would like him to answer.

RAO BIRENDRA SINGH: The hon. Member wanted to make a point about wheat prices.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different matter.

RAO BIRENDRA SINGH: But this is not the subject matter of discussion. But I would still like to say that the Government cannot depend

upon the assurance given by the hon. Member that if a few more rupees are given, there will be enough wheat available in the country. Government depends more upon its own efforts and has to take the responsibility itself rather than ...

DR. BHAI MAHAVIR: Efforts on imports or production?

RAO BIRENDRA SINGH: For procurement and production, both. Sir, as I have earlier stated, different countries have different standards for use of insecticides for protecting foodgrains in storage. In India also we use several chemicals—malathion, methylbromide, etc. We have prescribed different standards. But the World Health Organisation and the FAO have not laid down these limits for particular countries. This is by taking into account the conditions in different countries all over the world, and this is a safety margin that they have prescribed. In Australia, as soon as the foodgrains are taken to silos, they are to be protected with some insecticide and naturally we know that this had been treated with some protectant. There is nothing unusual about it. And, immediately as it reached our country, our experts, our analysts have certainly tried to verify as to what was the content of this protectant and certainly it was higher than what we want at the time of issue. But I have already clarified that even in our own godowns it is much higher than what it should be at the time of issue. There is nothing dangerous if it had a higher content at the time it has come and this has saved us the necessity to again use some protectant in the country where we are storing this. This wheat was not purchased for our immediate requirements This had been made clear several time in this House. This was only to replenish our stocks and the purchases were made at a time when we thought that the prices would be low in Australia. And it was keeping in view all the possibilities of purchases from other countries that wheat was purchased from Australia and very senior officers were deputed to make that deal. Naturally we cannot make a noise about what we are going to purchase and from where because that always pushes up the prices. That is why some secrecy has also to be maintained.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: May I request the hon. Members that since so many points have been clarified, they may not put the same questions again and again?

SHRI G. C. BHATTACHARYA (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am putting a question straightaway. Firstly, I want to know whether whatever wheat has been imported, will that be set apart for the consumption of bakeries, so that it will go through the process of high heat and all these things before being consumed, and there will be some chance of its being washed also. Secondly, I want to know whether whatever quantity has not yet been received, will you think of disposing that of in the outside market so that we may not have to live under this doubt whether it is safe to consume it or not. My specific questions are only two.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your questions are very clear. Please do not repeat.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: My questions are only two, namely, whether you will supply all this wheat to the bakeries only, the wheat that has been received; and whether you will think of disposing of in the outside market the quantity of wheat that has not yet been received.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, wheat has been purchased for our requirements. It is meant for us. But the Government has always the option of using it as it likes. If we want to help some country with this wheat we can do so even if it has come us. It can be given to somebody as assistance. We always want

[Rao Birendra Singh]

to maintain relations with outside countries and we have been helping needy countries with wheat although we ourselves are not very comfortable in the matter of wheat. We are also exporting rice but this wheat for all practical purposes is now a part of our stocks, whether it is still in Australia or it is on the seas or it has been received. The deal has already been made and it shall be used for all purposes for consumption, for millers also it can be issued. For the public distribution system also it can be used. But I have given an assurance that at the time of issue it is the responsibility of the Government to see that it is safe for consumption in any manner that the consumers want to use it.

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभापति जी, मंत्री महोदय स्पष्ट रूप में सदन को गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं । मेरा पहला सवाल है ये आफीसर जो गए आपके इनके नाम हैं : बी० सी० गंगोपाध्याय, बी० एस० राघवन, एस० बी० शास्त्री और चौथे अफसर हैं नारायण राव, खाद्य विभाग के । तो ये चार अफसर गये हैं । क्या आस्ट्रेलिया की सरकार ने यह साफ-साफ नहीं बता दिया कि इस में इतने-इतने विषैले पदार्थ हैं ? क्या स्पष्ट रूप में बता नहीं दिया ? बताने के बाद भी उन लोगों ने सौदेबाजी की है । अखबारों में बात आई है । मैं इसको थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूं--

"पता चला है कि बेचे हुए गेहूं की हर एक खेप के बारे में आस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को मिलाये गये रसायन की मात्रा के बारे में बता दिया था । हैरानी इस बात की है कि भारतीय अधिकारियों ने फिर भी जान-बूझकर इस घातक गेहूं का सौदा किया ।"

क्या यह बता दिया गया था कि नहीं इसमें इतनी मात्रा विषैली है । तब फिर क्यों इसका सौदा किया गया ? क्या आपको सूचना दी गई कि इसमें इतनी मिलावट है ? यह मेरा पहला सवाल है ।

दुनिया के हर एक मुल्क का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है । वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन का इन्होंने हवाला दिया । तो पहले यह बतायें कि वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन और ऐग्रीकल्चरल आर्गेनाइजेशन जो दुनिया के मुल्कों के बारे में, सहनशक्ति के बारे में पता लगाते हैं, भारत की जो परिस्थिति है, इसमें भारतीयों की सहनशक्ति कितनी है, उसको कितनी दूर तक वह बर्दाश्त कर सकते हैं ? आपके ऐक्सपर्ट जो हैं, वह कितना बताते हैं । यह मैं इस लिये पूछ रहा हूं कि इस गेहूं में प्रत्येक किलोग्राम में पाया गया 5 से 8 मिलिग्राम । ...

श्री उपसभापति : वह जवाब आ चुका है । अखबार मत पढ़िये । अखबार की बात का प्रतिवाद कर दिया, फिर भी आप उसी को पढ़ियेगा ? गलत बात मत पढ़िये ।

श्री शिव चन्द्र झा : दूसरी बात मैं कह रहा हूं । मिनिस्टर ने बताया है कि इस रसायन की सहनशक्ति की सीमा भारत में 0.2 मिलिग्राम प्रति किलोग्राम मात्र ही है । लेकिन इसमें पाया गया 5 से 8 मिलिग्राम प्रति किलो ।

श्री उपसभापति : कहां पाया गया ? वह इंकार कर दिया, फिर आप उसी बात को ले रहे हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा : वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ने क्या प्रिस्क्राइब किया

है और आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, यह पूछ रहा हूं ।

श्री उपसभापति : मंत्री जी ने जो नई सूचना दी, उसके ऊपर पूछिये । वह तो पहले ही यह बता चुके हैं । आप बिना वजह टाइम बरबाद करते हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा : जी हां, नई चीज ही पूछ रहा हूं । . . . (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : वह पढ़कर सुना दिये, फिर सुना देंगे । जो चीजें खत्म हो गई उसका दोहराइये मत ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं कहता हूं कि वर्ल्ड हैल्थ ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, यह इन्होंने बताया है ? . . . (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : जी हां, बता दिया है । कौन आपसे बहस करे । . . . (**व्यवधान**)

श्री शिव चन्द्र झा : तीसरा सवाल मेरा है . . .

श्री उपसभापति : आप जैसे बुद्धिमान आदमी जब ऐसे सवाल पूछते हैं, तो अच्छा नहीं लगता । आप पूछिये, तीसरा सवाल क्या है ?

श्री शिव चन्द्र झा : आप जैसे बुद्धिमान जिस तरह से चलाते हैं, जो भी बोलना चाहे उसको बोलने नहीं देते हैं । आप एक दो मिनट दे दीजिये । रेलेवेंट है, इरेलेवेंट है, आप ही उसकी छटनी करने लगते हैं । आप उसको छोड़ दीजिये कि रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है । . . . (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : पूछिये अब आप ।

श्री शिव चन्द्र झा : तीसरा सवाल यह है कि आस्ट्रेलिया का गेहूं मंगाने की जो आपको जरूरत हुई है क्या इसके माने ये नहीं हैं कि फूडग्रेन्स के जो आंकड़े हैं यह उसका दिवालियापन है ?

श्री उपसभापति : फिर मैं रोकूंगा तो आप मानेंगे नहीं । यह सवाल नहीं है । . . . (**व्यवधान**)

श्री शिव चन्द्र झा : क्यों नहीं है ? . . . (**व्यवधान**) । क्या गेहूं नुमाइश के लिये मंगाया है, क्या नुमाइश के लिये वह इंपोर्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट के स्टाक में नहीं है, इसलिये इंपोर्ट किया जा रहा है और आपका प्रोडक्शन सफिशियेंट नहीं है, इसलिये तो आ रहा है ? . . . (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : यह सवाल दूसरा है, झा जी । . . . (**व्यवधान**)

श्री शिव चन्द्र झा : कैसे दूसरा है, क्यों इंपोर्ट किया जाता है ? चूंकि यहां कम है इसीलिए इंपोर्ट किया जाता है ? . . . (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया, अब आप बैठिये । . . . (**व्यवधान**)

श्री शिव चन्द्र झा : चौथा और आखिरी सवाल है । . . . (**व्यवधान**) इस अडल्ट्रेशन ऐक्ट की सीमा से जो वह कहते हैं जहां से आयेगा, फिर गोदाम में रहेगा, उसमें घटेगा । गोदाम में पहुंचते-पहुंचते और घटेगा और पेट में जाने से और कम हो जाएगा । ये जो कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

[श्री शिव चन्द्र झा]

इस अडल्ट्रेशन ऐक्ट के मातहत जो लिमिट्स हैं अब तक जो बफर स्टाक में आपकी रही हैं पहले, कभी ऐसा पाया कि नहीं बावजूद खर्च के ?

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि यह तो बार-बार दोहराया गया है कि किस लिए मंगाना पड़ा। सन् 1981 में ड्राउट के साल के बाद हमारा बफर स्टाक 10 मिलियन टन के नीचे चला गया था जिसमें गेहूं सिर्फ 3 मिलियन टन रह गया था। हम चाहते थे कि उसको रिप्लेनिश करे। आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट बताती या न बताती, यह तो मालूम होता है कि इसके अन्दर दवा इस्तेमाल की गई और एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, मिस्टर नारायण राव उसमें साथ गये थे सिर्फ यह देखने के लिए कि गेहूं किस किस्म का है और इसमें कितनी दवा मिलाई गई है। वहां भी टेस्ट करते हैं और यहां आने पर भी मात्रा का टेस्ट करते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है कि आस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने बता दिया कि इसमें कितनी दवा की मात्रा है। हमारे अफसरों को भी पूछने का काम है कि इसमें कितनी दवा है और उसके मुताबिक उनका टेस्ट करने का काम था। इसमें शक के लिए क्या गुंजाइश है।

श्री शिव चन्द्र झा : वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन ने क्या स्टैंडर्ड रखा है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजशन ने जितनी मात्रा मानी है वह 10 लाख में 10 हिस्सा है वह मैं बता चुका हूं।

श्री शिव चन्द्र झा : भारत के सेट-अप में क्या है ?

श्री उपसभापति : वह बता चुके हैं; आपने सुना नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : एक मिलियन टन में दस हिस्सा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त (उत्तर प्रदेश) : झा साहब यह पूछ रहे थे कि इंडियन कन्डीशन्स में टालरेंस लिमिट इस की क्या है। डब्ल्यू० एच० ओ० का स्टैंडर्ड हो गया। इंडियन कन्डीशन्स में 0.02 मिलिग्राम है क्या ? यह उनका सवाल था।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने पहले अर्ज किया है कि हमारे यहां का स्टैंडर्ड डब्ल्यू० एच० ओ० का दूसरों की निस्बत बहुत सख्त है। फूड एडल्टरेशन एक्ट के मुताबिक 0.02 है यानी निल के बराबर है और उसी के ऊपर हम चलते हैं।

श्री उपसभापति : मंत्री जी पहले इसका जवाब दे चुके है, आप ध्यान नहीं रखते।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : मान्यवर, इस गेहूं के आयात से देश में काफी चिन्ता है और चिन्ता का कारण है—इस लिए नहीं कि लोगों की बहुत सही जानकारी है, बल्कि लोगों का जो पिछला अनुभव है उससे लोगों को चिन्ता है। आप को मालूम होगा कि कुछ साल पहले अमरीका से गेहूं आया था सड़ा हुआ था, जहरीला था। जब लोगों ने वह खाया तो मरने लगे और तब हाहाकार देश में मचा और पार्लियामेंट में मचा। इस बैकग्राउन्ड में फेनाइट्रोथिओन हिन्दुस्तान के स्टैंडर्ड से ज्यादा थी। मंत्री महोदय ने कबूल किया जब गोडाउन्स में यहां पर आया तो जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा मात्रा थी। उनको आशा है कि जब तक वह इशू होगा तब तक वह मात्रा कम हो जायेगी। लेकिन इससे देश की

चिन्ता दूर नहीं होगी क्योंकि जब इश्यू होगा तब दूरी होगी या नहीं होगी यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि लोगों का फूड कारपोरेशन के गोडाउन्स का तजुरबा यह है कि वहां से अक्सर ऐसी चीजें निकलती हैं जो खाने लायक नहीं रह जातीं। इस लिए यह चिन्ता है। इस चिन्ता को दूर करने के लिए आपने खुद स्वीकार किया है कि जरूरी नहीं है कि हम इसको हिन्दुस्तान में ही खपत करें। आप इस को बफर स्टाक में रखें और किसी ठंडे मुल्क को दे दें जहां इसकी ज्यादा मात्रा खपत में आ सकती है —वहां दीजिए। यहां पर लोग जो रोटी और ... ल करते हैं उनको ... यह चाहेंगे क्यों-है कि कहीं बिना बताये इश्यू हो जाय और लोगों को बीमारियां हो जायें। इसके लिए जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिये आप इस बात की गारन्टी कीजिए कि आप इस को रोटी और चपाती बना कर इस्तेमाल करने वाले लोगों को इश्यू नहीं करेंगे। नम्बर दो यह मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो यह गेहूं आस्ट्रेलिया से खरीदा है तो यह किस कीमत पर खरीदा है।

श्री उपसभापति : कीमत की बात छोड़िये।

श्री योगेन्द्र शर्मा : कैसे छोड़ूं। मरें भी और कारण भी न पूछें। हमारे देश में गेहूं की कमी है और बफर स्टाक बनाने के लिये आप लेते हैं। तो इस का मतलब है कि कमी है और कमी होने का संबंध कीमत से हो जाता है। हमारे माननीय सुरजीत जी ने कहा कि कीमत बढ़ा दी होती तो हमारे देश में ही गेहूं मिल जाता। तो यहां मिल सकता है या नहीं मिल सकता है इस विवाद में मैं इस समय नहीं जाना चाहता, लेकिन कीमत की बात को हम छोड़ना नहीं चाहते और मैं समझता हूं कि यह कोई गुप्त बात नहीं है और आस्ट्रेलिया से किस कीमत पर आपने इस गेहूं को खरीदा है और हिन्दुस्तान में उस वक्त गेहूं की कीमत क्या थी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं माननीय सदस्य की तसल्ली इस तरह से करा सकता हूं कि यह गेहूं बिलकुल सेफ होगा खाने के लिये तभी इश्यू किया जायगा और अगर इस के आगे भी वह इत्मिनान करना चाहते हैं तो मैं पहले खा कर देख लूंगा और सारे अफसर इस को खा कर देख लेंगे तभी वह इश्यू किया जायेगा किसी को।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आप तो मजबूत आदमी हैं, खा कर उसको पचा सकते हैं, लेकिन हम नहीं पचा सकते।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now it is a fair offer from the Minister. You accept it.

राव बीरेन्द्र सिंह : जो अमरीका से गेहूं आया था वह अब इश्यू हो रहा है मुझे मालूम है कि मिलें आम तौर पर इस अमरीकी गेहूं की मांग कर रही हैं क्योंकि उसमें से मैदा अच्छा निकलता है और यह गेहूं अच्छा देख कर खरीदा गया है और आपको भी पसंद आयेगा।

श्री योगेन्द्र शर्मा : बेकरीज को दे दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : किसी न किसी को तो दिया ही जायगा लेकिन अगर आप को खारा है तो आप को नहीं दिया जायगा। मैं यह भी नहीं कहता कि एफ० सी० आई० से जो अनाज दिया जाता है वह अच्छा नहीं होता ...

श्री योगेन्द्र शर्मा : अक्सर।

राव बीरेन्द्र सिंह : अक्सर की बात अलग है। दस लाख टन अनाज एफ० सी० आई० से इश्यू हो रहा है और 298 हजार

[राव वीरेन्द्र सिंह]

दूकानें उसको तकसीम कर रही हैं। तो यह दस लाख टन अनाज जो हर महीने एफ० सी० आई० दे रहा है वह कहां जाता है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं आम बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है।

राव वीरेन्द्र सिंह : आप कहिये कभी कभी, अक्सर नहीं। अक्सर में तो जनरल बात आ जाती है। जहां ऐसा होता है, शिकायत हमारे पास पहुंचती है तो उस की देखभाल की जाती है। लेकिन आम तौर से अच्छा अनाज ही इश्यू किया जाता है।

कीमत के मुताल्लिक भी मैं अर्ज कर देता हूं। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। पहले भी हाउस में यह बात आ चुकी है। आस्ट्रेलिया से यह गेहूं खरीदा गया 212.12 डालर्स पर टन के हिसाब से। लेकिन इस में सिर्फ गेहूं की ही कीमत नहीं है, इस के अंदर फ्रेट भी शामिल है। वहां गेहूं की कीमत अलग नहीं रखी जाती, साथ में शामिल की जाती है। खाली गेहूं की कीमत हिसाब लगा कर देखा जाय तो उस में और हमारे हिन्दुस्तान में जो कीमत है उन दोनों में ज्यादा लम्बा चौड़ा फर्क आप को नहीं मिलेगा और यहां हिन्दुस्तान में आ कर इसमें किराया भाड़ा मिला कर, जब यहां पहुंचता है तो 195.57 पैसे इस की कास्ट पड़ी है। उसके बाद हैंडलिंग चार्जेज हैं, लोड किया जाता है, गोदामों में ले जाया जाता है, रेल का किराया है, इस सब से इस की कीमत थोड़ी और बढ़ जाती है।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, though alarming news appeared in the press yesterday, today's press has published a report from the Government side that the Australian wheat is not contaminated. Sir, in this matter we cannot take any chances. So, I think the Ministry also will be very much concerned about this. As buffer stocks that may be stocked, but thorough research should be made again and also the Government should know whether the wheat could be used for human consumption or not. According to the report of the World Health Organisation, five lakh people fall ill every year and three thousand die every year due to poisoning by pesticides. Sir, in our country we use nearly 300 grammes per hectare whereas in the West 1,790 grammes are used. Even then in our country, according to the Indian Toxicological Research Centre in Lucknow, the average Indian could be consuming 0.266 milligrammes of DDT with each meal. That means adequate controls are not being enforced for the manufacture of safe pesticides. I would like to request the Minister to make strict enforcement of the Insecticides Act of 1968 because, when a racket was exposed in Haryana in pesticides even then a case was not registered because the police refused to register a case. That was admitted in the State Legislature itself. So, it is high time the Government made strict enforcement of the Insecticides Act of 1968.

RAO BIRENDRA SINGH: I have noted the suggestion of the hon. Member about the use of pesticides and insecticides. But that is with regard to plant protection measures. This is a different matter. A special type of protectant was used in Australia for the wheat that we had imported and I have clarified the whole position.

श्री सैय्यद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, सदन में एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ इशारा किया गया है। यकीनन इससे हमारी अवाम की जिन्दगी जुड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से हमारे विपक्ष के साथियों ने मामले को रखने की कोशिश की है उससे लगता है कि वह आरोप लगाना चाहते हैं और सरकार पर

[श्री सैय्यद सिब्ते रजी]

कोई जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। हमारे मंत्री महोदय ने तमाम बातों का जवाब दे दिया है इसलिये मैं सिर्फ दो सवालात करना चाहता हूं। जैसा इन्होंने कहा है कि हमें पहले से पता था कि किस तरह का इन्सेक्टीसाईड इसके ऊपर लगा हुआ है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जो माल, गेहूं हमने खरीदा है वह आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का बफर स्टाक का गेहूं है या उनकी ताजा उपज का गेहूं है? अगर बफर स्टाक का गेहूं है तो क्या जरूरत थी कि हम वह इन्सेक्टीसाइड मिला हुआ गेहूं खरीदें जिससे यकीनी तौर पर नहीं लेकिन शक जरूर पैदा होता है कि यह हमारी अवाम की जिन्दगी के लिये हितकर नहीं हो सकता या नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरे, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा हम इसको पहले बफर स्टाक में रखेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना समय बफर स्टाक में रखा जाएगा। जिससे यकीनी तौर पर इस बात का पता चल सके कि अब इसमें किसी तरह का कोई शुबह नहीं है। यदि मंत्री महोदय इस समय स्पष्ट करें तो उससे पता चल जाएगा कि कब से गेहूं कंजम्पशन के लिये दिया जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस गेहूं को, जिसके बारे में शुकूब पैदा हो गये हैं, इसे दूसरे गेहूं के साथ मिक्स करके दिया जाए जिससे इंसक्टेसाइडेशन जो गेहूं में विशैली चीज को रोकने के लिये, कीड़ो को मारने के लिये किया गया है, उसका असर कम हो जाएगा? तीसरी बात मंत्री महोदय के सामने यह रखना चाहूंगा कि क्या आस्ट्रेलियन अथोरिटीज ने हमारे देश की अथारिटी को पहले से इस बात से आगाह कर दिया था कि यह डायरेक्ट कंजम्पशन के योग्य गेहूं नही है। इसलिये बेहतर होगा कि इसे वाश करके, इसका मैदा या आटा बनाकर उपयोग किया जाए जिससे किसी तरह की गम्भीर स्थिति पैदा न हो जाए?

RAO BIRENDRA SINGH: It is not a question of the Australian Government being warned by India or the Indian Government being warned by Australia. It is our responsibility. We look into all these things and, after all, this news has come in the newspapers after we got it analysed. It was the Health Department which got this tested to see whether it was according to the specifications required, and it is because we took interest and we wanted to ensure that it is safe that it was found that at present, when it landed in India, this was the content. Therefore, it is not a news from outside. After all it is what Government has been looking into, and Government has done this testing. This wheat will be kept in the godowns till such time as it is required for the public distribution system in any part of the country, but before issue it will be ensured that it is safe for consumption. If it has to be kept in storage for longer periods in the godowns, we may have to use more protectant ourselves to protect it.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश): उपसभापति महोदय, मंत्री महोदय, ने करीब-करीब कुछ सवालों के जवाब दिये हैं। लेकिन जो खबरें स्टेट्समैन और दूसरे समाचार-पत्रों में छपी हैं वे बहुत ही तशवीशनाक खबरें हैं और सारी जनता में एक किस्म का असंतोष पैदा हो गया है और लोग यह सोचने लगे हैं कि बढ़ती हुई आबादी को घटाने के लिए कोई नया तरीका तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आप लोगों में यह चर्चा पैदा हो गई है और यह विश्वास पैदा होता जा रहा है कि गवर्नमेंट आबादी को घटाने के लिए कुछ कदम उठा रही है....

(व्यवधान)

श्री सैयद सिब्ते रज़ी: भ्रम तो आप फैलायेंगे, जनता में इस तरह का कोई भ्रम नहीं है।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : श्रीमन्, मैं दो तीन सवाल करना चाहता हूं। पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि [illegible] मंगाने के लिए जो [illegible] में क्या कोई एक्सपर्ट या साइं[illegible] करने के लिए भेजा गया था?

[illegible] का जवाब हो चुका है। उन्होंने बताया है कि श्री नारायण राव [illegible] कारपोरेशन के हैं, वे एक्सपर्ट [illegible]

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : क्या इसका कोई [illegible] है या एक्सपर्ट की कोई [illegible]?

श्री उपसभापति : इसका जवाब हो चुका है।

[illegible] **सत्यनारायण रेड्डी :** मैं नहीं [illegible] बारे में कोई एक्सपर्ट [illegible] यह जानना चाहता [illegible] गई है तो इस गेहूं में कितनी मात्रा में जहरीली कीटनाशक दवा है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस गेहूं की जांच आस्ट्रेलिया में हुई है या भारत में आने पर हुई है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस बारे में भारत सरकार की टीम ने कुछ बताया था या आस्ट्रेलिया की सरकार की तरफ से कोई संकेत दिया गया है? अगर इस गेहूं की कोई जांच हुई है और भारत की टीम की कोई रिपोर्ट है तो क्या आप उसको सदन के सामने पेश करेंगे?

श्री उपसभापति : यह सब उन्होंने बता दिया है, आपने सुना नहीं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि यह गेहूं जो इस समय गोदामों में स्टोर्ड है, यह कितने समय तक उनमें रहेगा और कब डिस्ट्रिब्यूट होगा? यह तो मानी हुई बात है कि यह गेहूं आपको या हमको नहीं बांटा जाएगा यह तो आम लोगों को, गरीब लोगों को बांटा जाएगा क्योंकि सड़ा हुआ गेहूं गरीबों को ही [illegible] जाता है, आम लोगों को दिया जाता है। पहले भी इसी प्रकार का गेहूं जो अमेरिका से आता था, आम लोगों में बांटा गया था। ऐसी हालत में मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या बंटवारा करने से पहले या लोगों के पास पहुंचने से पहले, आम लोगों को साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि यह गेहूं जांच करके दिया जा रहा है और इसमें कोई नुकसानदेह चीज नहीं है और क्या लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा कि यह आस्ट्रेलिया से मंगाया गया गेहूं है ताकि उनकी मर्जी हो तो वे खरीदें, वरना न खरीदें? तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा गेहूं जो आस्ट्रेलिया से या अमेरिका से या अन्य किसी देश से मंगाया गया था और जो कीटनाशक दवाओं से भरा हुआ था उसकी वजह से हिन्दुस्तान में क्या किसी की मौत हुई है और अगर किसी की मौत हुई है तो उनकी तादाद बताने की कृपा करें।

श्री हरि शंकर भाभड़ा : श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री नारायण राव जो फूड कारपोरेशन के अफसर हैं, ये वहां पर किस पद पर हैं? ये किस चीज के एक्सपर्ट हैं?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not important. The same question is being repeated every time, unnecessarily wasting the time.

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Indian people are suffering from so many curable and incurable diseases, and I think a little bit of insecticides will cure them.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has replied to that.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: It is a very relevant question, Sir.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Let him answer my question first.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: He can answer both. The Agriculture Ministry has, in the past, done a lot of research about the insecticides like the DDT and all that. Has any tolerance or resistance been developed to this type of drug because in the case of malaria...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has replied that tolerance has been developed.

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी चेयरमैन साहब, पहले मैंने जो जवाब दिया था, उस वक्त मैंने सिर्फ यह समझा था कि यह रिपोर्टिंग मिस्चीवियस है, लेकिन माननीय सदस्य को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पोलिटिकल हाथ भी है। इस तरह की शरारत इस खबर के अन्दर थी और इसको यहां तक स्ट्रैच करेंगे, दाद देता हूं मैं आपके इमेजिनेशन की, तखय्युल का कि आबादी को कम करने के लिए यह व्हीट मंगाया गया है... (व्यवधान) ...

से पहले यह जा रहे गे लगाये

कह सकते हैं कि कोई पहले ली जाती है और किसानों को है।

चित है।

था कि मैं पहले हूं ...

श्री उपसभापति : उसको दोहराइये नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : ...बीज टेस्ट किया जाता है और जहाज पर लादते वक्त कितनी मात्रा थी, यह मैं दोनों जहाजों के आंकड़े बता चुका हूं। यहां पहुंचे तब क्या मात्रा इस दवा की थी, यह भी मैं बता चुका हूं और इश्यू करने के पहले जो फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट के तहत जो प्रिसक्राइब्ड लिमिट है, अगर उसके अन्दर होगा तो वह इसको पास कर देंगे और तब इश्यू होता है। ऐसे इश्यू नहीं होता है, फूड कारपोरेशन के गोदामों से। तो मेहरबानी करके आप ऐसा गेहूं न खाइये और अपने राशन कार्ड वापस कर दीजिये। लेकिन दूसरे लोगों को... (व्यवधान)...परेशान मत करिये... (व्यवधान)

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : डिप्टी चेयरमैन साहब, आप कुछ तो कन्ट्रोल कीजिये यह क्या जवाब है कि राशन कार्ड वापस कर दीजिये, टेलीफोन खराब है तो.. (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : दूसरों को बोलने दीजिये... (व्यवधान)...

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : मेरे तीसरे सवाल का जवाब... (व्यवधान)...

श्री जी० स... क्या है कि वापस कर दीजिये... (व्यवधान)

श्री बी... रेड्डी : मैंने पूछा था कि ... गेहूं को विदेशों से इम्पोर्ट करने के बाद देश में लोगों की ... में मैंने सवाल ...

राव बीरेन्द्र सि... कोई मौत देश में नहीं हुई

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't repeat the questions and the replies.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Not at all. You will see that I am not repeating. But the last statement which the Minister made—whether out of pique or anything, I do not know—of returning the ration cards by certain Members...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: The cure is worse than the disease, that way.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no disease.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: As you said, Mr. Deputy Chairman, we cannot go into the question whether such wheat purchases are best evidence of our efforts at acquiring self-sufficiency or whether purchasing wheat at a higher price from abroad was right or not. I have two specific questions to ask. I remember an earlier occasion, perhaps about two decades back when our country was not self-sufficient—at present it is—when a shipment from the USA came and ultimately it came out that that shipment consisted of a consignment of wheat which had been declared in the USA as unfit for human consumption. Under PL 480 that wheat was shipped to India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different question.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Not a different question. I would show you the correlation. It is related to that. It was an open scandal a long time back. This is how the U.S.A. utilised their surplus stock of wheat which was declared unfit for human consumption. In this report, there is a particular line which raises the suspicion that perhaps the Australian authorities considered this stock of wheat to be unfit for human consumption there. I quote:

"They had clearly told officials to examine whether the insecticides mixed would be fit for human consumption in India."

They perhaps implied that it was not considered fit for human consumption in Australia. Is it so? Is there any reason to suppose so? Was this wheat contracted to be purchased by the representatives of our Government even after knowing that?

Secondly, from the replies so far given by the Minister, it seems that he discounts whatever allegations have been made in this report, thereby suggesting that unnecessary scare has been spread by this news item. The newspaper has obviously published it with full responsibility. If they have done it in an irresponsible manner, as the Minister seems to suggest, what remedial measures would he suggest?

RAO BIRENDRA SINGH: It is not for me to suggest what action can be taken against the journalists who have misreported things or twisted them. It is a matter for the Press Council to take notice of. We shall see how we can rectify these things. The hon. Member has rightly suggested that things of this kind create scare. After all, Australia—if I know correctly—is exporting 10 to 12 million tonnes of wheat every year to all the parts of the world and it is the same kind of insecticides they used and it is the same kind of wheat that is consumed all over the world. But, as I have stated earlier, the Indian standards are very strict. I have already given replies to his other questions. I do not think there is any need to worry about it.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Was it unfit for human consumption there?

श्री भानु प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला तो यह है कि जो इनसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया गया, इसका टेक्नीकल बेस क्या है ? कौन सा कैमिकल है जो इसमें

मुख्य रूप से लगा है। दूसरा सवाल यह है कि यह इनसेक्टिसाइड अपने देश में इस्तेमाल होता है या नहीं और यदि नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? हम लोगों ने क्या दूसरे इनसेक्टिसाइड प्रयोग करना बेहतर समझा। तीसरी बात यह है कि मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किस एजेंसी के द्वारा इसकी जांच कराई गई, एनेलेसेज़ कराई गई। क्या वह फूड डिपार्टमेंट की एजेंसी है अथवा कोई ऐसी एजेंसी जिस पर लोगों को भरोसा हो सके। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि चाहे जितना कृषि मंत्री जी सफाई दें, मैं उनकी सफाई में अविश्वास भी नहीं करता परन्तु यह बात जब देश में फैल चुकी है तो और अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया है उस वातावरण को दूर करने के लिए मेरा सुझाव तो यह है कि इसको आप इंडियन टोक्सीकोलोजिकल रिसर्च सेंटर, लखनऊ में भेजें और वहां से रिपोर्ट लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुरानी मान्यताएं थीं इनसेक्टिसाइड के बारे में उनमें बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं। जो पहले सेफ समझी जाती थीं वे अब अनसेफ समझी जाती हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इससे फौरन मौत हो जाए, ऐसी बात भी नहीं है। ये इन्सेक्टिसाईड कभी शरीर के अंदर धीरे धीरे एकत्र होते रहते हैं और जब तक एक सर्टेन लेविल तक नहीं पहुंचते हैं तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं दिखाई नहीं देता है। इसलिये इनके प्रयोग में अधिकतम सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लोगों का विश्वास तभी जागेगा जब एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बाडी द्वारा इसकी जांच कराई जाये। अगर केवल फूड डिपार्टमेंट के लोग करते रहेंगे तो मुझे डर है कि जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी। तो मैंने उनसे पूछा है पहला तो केमिकल बेस क्या है यह बतायें... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : सब बतायेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : केमिकल बेस के मुताल्लिक मैं नहीं जानता डिप्टी चेयरमैन साहब कि क्या इसका केमिकल बेस है...यह दवा जब हमारे यहां इस्तेमाल नहीं हो रही है। मैंने बताया कि चार पांच और केमिकल्स हैं जो हमारे देश में इस्तेमाल किये जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं उनका नाम दे देता हूं... (व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह : इसका केमिकल बेस क्या है, क्या इसमें डी डी टी तो नहीं है। अगर डी डी टी लेश मात्रा में भी है तो वह मनुष्य जाति के लिए घातक है। या आप इतना ही कह दें कि क्या है, यह न बतायें इतना ही केवल बतायें कि डी डी टी इस्तेमाल नहीं होती है... (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं यह भी नहीं कह सकता हूं जब कि मुझे मालूम नहीं है, मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूं। आप ऐसी बात पूछें, अगले साल क्या करेंगे, कैसे तैयार की जाती है, क्या इसका ट्रायल आस्ट्रेलिया में हुआ, क्या हुआ तो... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : जब पता नहीं है क्या इन्सेक्टिसाईड है तो जांच क्या हुई... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप सब्र रखिये, अभी उन्होंने जवाब समाप्त नहीं किया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मेरी मिनिस्ट्री को मालूम है, उनका कहना है कि यह आर्गेनोफास्फेट कम्पाउंड है एक किस्म का जो मैलोथियान से मिलता जुलता है, मैलोथियान से जो हम इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको तसल्ली हो जानी चाहिए। आप शायद ज्यादा जानते हों दवाइयों के बारे में...

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : डी डी टी है या नहीं वे यह पूछ रहे हैं... (व्यवधान)

राव वीरेन्द्र सिंह: डी डी टी नहीं हुई फिर... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : वे लखनऊ से जांच कराने के लिए कह रहे हैं... (व्यवधान)

राव वीरेन्द्र सिंह : जो मैलोथिग्रान... (व्यवधान) यह आर्गेनिक मैटीरियल है कोई । तो बाकी ज्यादातर सुझाव ही हैं माननीय भानु प्रताप जी के, कि दूसरी लेबोरेट्रीज से जांच कराई जाय । जैसे हमारे प्रीवेंशन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री की भारी जिम्मेदारी बनती है और वे ही इसको टेस्ट कराते हैं, उनकी अपनी लेबोरेट्रीज भी है, लेकिन एहतियातन उनका सुझाव मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है, इसको और भी दिखा देंगे ।

REFERENCE TO THE REPORTED HARASSMENT OF SCHEDULED CASTES FAMILIES IN NORTH ARCOT IN TAMIL NADU

श्री बुद्ध प्रि [illegible] प्रदेश) : [illegible] उपसभापति जी, तमिलनाडु के कानाजम गांव में जो [illegible] र्थ आरकाट में आगे पड़ता है, व[illegible] ... 13 शोषित समाज के परिवार, शिड्यूल कास्टस के परिवार [illegible] दिये गये [illegible] गांव में समस्याएं हैं । पुरानी जमीन को तो जमींदारों ने दबा लिया, जहां पर ये अपने मुर्दे दफनाते थे, नयी जगह पर कहीं दफनाने नहीं दिया जा रहा है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, अपना इनका कुआं नहीं [illegible]

[illegible] का वातावरण फैला हु[illegible] में भी जहां ये 13 शो[illegible] के परिवार गांव छोड़कर चले गये हैं वहां पर यह वातावरण फैलता जा रहा है ।

श्रीमन्, यह वारदात शुरू हो जाती है पिछले सितम्बर से जबकि एक शोषित समाज की बुढ़िया मर गयी थी और उसको दफनाने गये तो जमीदारों ने उसे दफनाने नहीं दिया; उसके बाद में 15 जनवरी को एक वारदात हुई, दो मार्च को टाईम्स आफ इंडिया में छपा और तीन मार्च को आपने मुझे यहां पर इसको रखने की इजाजत दे दी है, मैं इसमें और ज्यादा बात न कहकर टाईम्स आफ इंडिया का कोटेशन देकर अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

I quote:

"The cold war turned hot on January 15 when the Scheduled Castes refused to beat drums at the funeral of the father of the village headman, Kappu Reddiar...The next day, Murugesan, a Scheduled Caste, charged that Mallika, his 23 year old wife, had been abducted and raped by four caste Hindus... Mallika, contacted at Mulvai village asserted that she was forc[illegible] away by four persons an[illegible]ly assaulted. She, however, pleaded inability to give details as she had lost consciousness."

[illegible] al [illegible] Securit[illegible] he police had re[illegible] an oral complaint m[illegible]

"Both the caste Hindus and officials said that the dispute could have been settled and S.C. brought back to the village but for the intervention of some social service organizations with 'Foreign Connections'."

श्रीमन्, मीनाक्षीपुरम की वारदात [illegible] ऐसी ही थी और बाद में धर्म परि-[illegible] । इसके साथ ही [illegible] तिरुन्नवे[illegible] ऐसी [illegible] कि जमीं[illegible] मज[illegible] गया । पुलिस अधिकारियों ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने